प्रशासन गांव के संग अभियान 2021

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 139/2016 दिनांक : 08.11.2021

अनवान

1. भेरूलाल पिता भगवाना जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर।
2. किशनलाल पिता भगवाना जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर।
3. भगवानी बाई पत्नि भगवाना जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर।

.... वादीगण

|| बनाम ||

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आ य का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादीगण के खातेदारी की मौजा बागुण्ड पटवार हल्का बागुण्ड, तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 47 आ.नं. 579/4 रकबा 08 बीघा एवं नवीन सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार खाता सं. 57 के आराजी नम्बर 697 रकबा 1.30 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है [illegible] 2070–2073, मिलान क्षैत्रफल संलग्न वाद पत्र की है।
2. यह कि मौजा बागुण्ड पटवार हल्का बागुण्ड, तहसील [illegible] की वर्ष 2010–11 में [illegible] अधिकारीयों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दर[illegible] वादीगण के खातेदारी आ.नं. 579/4 रकबा 08 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 697 रकबा 1.30 हैक्टेयर कायम किया गया, शेष आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजी नं. 698 रकबा 0.26 हैक्टेयर पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे वादी पत्र घोषणात्मक डिक्री का पेश है।

3. यह कि भू प्रबंध के पूर्व ही उक्त आराजीयात वादीगण के खाते में खातेदारी दर्ज थी ऐसी स्थित में भू प्रबंध अधिकारियो को वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर बिलानाम दर्ज कर दी जबकि वादीगण आज भी मौके पर 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिये उक्त आराजीयात को वादीगण अपनी खातेदारी में पुनः दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने के अधिकारी होने से वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश है।

4. यह कि विवादित आराजीयात सेटलमेंट के पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मौके पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं वर्तमान में भी आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में है फिर भी ऐसा परिवर्तन भू प्रबंध अधिकारियों ने किया जो गलत है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 03.08.2016 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:[illegible]:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा बागुण्ड साबिक खाता संख्या 47 संवत् 2060–2063
2. नकल जमाबन्दी मौजा बागुण्ड खाता संख्या 57 संवत् 2070–2073
3. मिलान क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत रेवलिया खुर्द शिविर में प्रस्तुत होने पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। नकल जमाबन्दी मौजा बागुण्ड की साबिक ख़ाता संख्या 47 संवत् 2060–2063 अनुसार आ.नं. 579/4 रकबा 08 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी को भू प्रबंध के पश्चात भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 697 रकबा 1.30 हैक्टेयर कायम कर शेष भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी नम्बर 698 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में से 0.2100 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज मौजा बागुण्ड प0ह0 बागुण्ड के साबिक खाता संख्या 47 की आराजी नम्बर 579/4 रकबा 8 बीघा भूमि दर्ज थी जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित था। जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर 697 रकबा 1.30 हैक्टेयर कायम कर शेष भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई लेकिन वर्तमान में वादीगण का आराजी नम्बर 698 रकबा 0.26 हैक्टेयर पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिये आराजी नम्बर 698 रकबा 0.26 हैक्टेयर में से 0.21 हैक्टेयर भूमि को वादीगण भेरूलाल,किशनलाल एवं भगवानी बाई की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner